Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2018 SHISRRJ | Volume 1 | Issue 4 | ISSN : 2581- 6306

धर्मशास्त्र में वर्णित स्त्री-सम्पत्ति के विभिन्न प्रकार

संगीता राय,
शोधार्थिनी,
संस्कृत एवं प्राच्यविद्या अध्ययन संस्थान,
जे.एन.यू, नई दिल्ली, भारत।

संक्षेपिका :- भारतीय संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चतुर्विध पुरुषार्थ माने जाते हैं । मानव जीवन में धर्म और काम के साथ-साथ अर्थ का भी सम्बन्ध है । क्योंकि यज्ञ आदि धार्मिक कार्य के लिये भी अर्थ की आवश्यकता होती है । यदि अर्थ की आवश्यकता केवल पुरुषों को ही होती , नारियों को नहीं तो गृहस्थाश्रम की प्रगति कभी भी सम्भव नहीं हो पाती । उन्हीं अर्थों को धर्मशास्त्रकारों ने स्त्रीधन या नारीसम्पत्ति कहा है । यदि परिवार में स्त्री-धन की व्यवस्था नहीं होती तो स्त्रियों की सुरक्षा सम्भव नहीं । पति अवसान में स्त्रीधन होने पर नारी अपने नैतिक गुणों तथा सन्तानों की सुरक्षा कर सकती है । प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से धर्मशास्त्रकारों के द्वारा प्रतिपादित नारीसम्पत्ति का विवेचन किया गया है जो नारी जीवन की रक्षा तथा प्रतिष्ठा के लिये अत्यन्त आवश्यक हैं ।

मुख्य शब्द : – भारतीय, संस्कृति, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्मशास्त्र, स्त्री-धन, पुरुष।

नारी सम्पत्ति के प्रकार :- समाजशास्त्रीय रुप में विवाह संस्कार के रूप में जो भी वस्तुएँ कन्या को दी जाती थीं, वे स्त्रीधन के नाम से जानी जाती थीं । उन वस्तुओं पर पति या परिवार के अन्य व्यक्तियों का अधिकार नहीं होता था । अत: धर्मशास्त्रकारों ने भी स्त्रीसम्पत्ति के रूप में इन वस्तुओं पर स्त्री का ही अधिकार माना है । स्त्रीसम्पत्ति के विषय में याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है कि विवाह के समय मात-पिता, भाई, पति एवं मातुल आदि के द्वारा दिया हुआ, अग्नि के समक्ष मातुल आदि के द्वारा दिया

हुआ, दूसरे विवाह के समय पहली पत्नी को दिया हुआ तथा दाय, परिग्रह तथा अधिगम के द्वारा प्राप्त धन स्त्रीधन है-

पितृमातृपतिभ्रातृदत्तमध्यग्न्युपागतम् ।

आधिवेदनिकाद्यं च स्त्रीधनं परिकीर्तितम् ॥[1]

मनु स्त्रीधन के विषय में कहते हैं कि दाय, संविभाग, क्रय तथा अधिगम से प्राप्त सभी धन स्त्रीधन होता है । स्त्रीधन शब्द यौगिक है पारिभाषिक नहीं । मनु ने छ :प्रकार के स्त्रीधन बताये हैं –

१.कन्यादान के समय अग्नि के समीप दिया गया धन अध्यग्नि धन होता है ।

२.पिता के घर से पति के यहाँ लाया हुआ धन अध्यावहनिक धन होता है ।

३.प्रीति के लिए(पति द्वारा) दिया गया धन

४.भाई के द्वारा दिया गया धन

५.माता के द्वारा दिया गया धन

६.पिता से प्राप्त धन

मनु द्वारा प्रतिपादित स्त्रीधन के छः प्रकार न्यून संख्या की अवच्छेदिका है, न कि अधिक संख्या की । नारद ने भी छः प्रकार के स्त्रीधन स्वीकार किये हैं-

अध्यग्न्यध्यावहनिकं भर्तृदायस्तथैव च ।

भ्रातृमातृभ्यश्च षड्विधं स्त्रीधनं स्मृतम् ॥[2]

आधिवेदनिक

एक स्त्री के उपस्थिति के बावजूद किसी कारणवश पुरुष जब दूसरा विवाह करते हैं तो उसे अधिवेदन कहते हैं तथा उस विवाह के कारण जो पूर्व पत्नी को धन देते हैं उसे आधिवेदनिक

[1] या.स्मृ- २/१४३

[2] नारद्- १३/८

कहते हैं – **यच्च द्वितीयस्त्रीविवाहार्थिना पूर्वस्त्रियै पारितोषिकं धनं दत्तम्, तदाधिवेदनिकम्, अधिकस्त्रीलाभार्थत्वात्तस्या ।**[3]

विष्णु ने स्त्रीधन को प्रतिपादित करते हुये कहा है कि पिता, माता, पुत्र, भाई के द्वारा अग्नि के समक्ष जो कुछ दिया जाता है, आधिवेदनिक धन कहा जाता है ।

अन्वाधेय धन :-

अन्वाधेय नामक स्त्रीधन के स्वरूप को बताते हुये कात्यायन ने कहा है कि विवाह के उपरान्त स्त्री को पति द्वारा जो प्राप्त होता है या बन्धु-बान्धवों से प्राप्त होता है वह अन्वाधेय स्त्रीधन है । भृगु ने भी इस प्रकार के धन को अन्वाधेय धन ही कहा है-

विवाहात् परतो यत्तु लब्धं भर्तृकुलात् स्त्रिया ।
अन्वाधेयं तदुक्तन्तु लब्धं बन्धुकुलात्तथा ॥
ऊर्ध्वं लब्धन्तु यत्किञ्चित् संस्कारात् प्रीतितस्स्त्रिया ।
भर्तुः पित्रो : सकाशाद्वा अन्वाधेयन्तु तद्भृगुः ॥[4]

श्लोक में बन्धुपद से अभिप्राय माता-पिता से है । परन्तु विष्णु मे बन्धु पद का तात्पर्य मामा से लिया है- **विष्णुवचने च बन्धुपदं मातुलाद्यभिप्रायम्, पित्रादीनां स्वपदेनैव निर्दिष्ट्त्वात् ।**[5] जीमूतवाहन के अनुसार भर्तृकुल का अर्थ श्वशुरादि है और बन्धुकुल का अर्थ माता-पिता का कुल से है – **"भर्तृकुलात्-श्वशुरादेः । बन्धुकुलात्-पितृ-मातृकुलात् ।"**[6]

अध्यग्निकृत :-

कात्यायन ने विवाह के समय अग्नि के समक्ष स्त्री को दिया गया धन अध्यग्निकृत स्त्रीधन है –

विवाहकाले यत्स्त्रीयोभ्यो दीयते ह्यग्निसंनिधौ ।

---

[3] दाय.-४/१/१४

[4] दाय् -४/१/२

[5] दाय -४/१/३

[6] दाय-४/३/१७

विवाहकाले यत्स्त्रीयोभ्यो दीयते ह्यग्निसंनिधौ ।।[7]

अध्यावहनिक :-

पिता के घर से पति के घर जाने के समय दिया गया धन अध्यावहनिक स्त्रीधन है-

यत्पुनर्लभ्यते नारी नीयमाना पितुर्गृहात् ।

अध्यावहनिकं नाम स्त्रीधनमं तदुदाहृतम् ॥[8]

इस धन में माता-पिता द्वारा प्राप्त धन तथा माता-पिता के कुल से प्राप्त धन का समावेश किया गया है ।

प्रीतिदत्त :-

सास तथा श्वसुर द्वारा प्रीतिपूर्वक दिया गया धन तथा पादवन्दिक(चरणस्पर्श) के समय प्राप्त धन प्रीतिदत्त है-

प्रीत्या दत्तं तु यत्किचिच्छ्श्रवा वा श्वशुरेण वा

पादवन्दनिकं चैव प्रीतिदत्तं तदुच्यते ॥[9]

सौदायिक धन :-

विवाहिता अथवा अविवाहिता स्त्री द्वारा पति के अथवा पिता के घर से या पति से या माता-पिता से प्राप्त धन सौदायिक धन कहलाता है । इस प्रकार के धन में स्त्रियों को पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त है ।

ऊढया कन्यया वाऽपि पत्युः पितृगृहेऽपि वा ।

भ्रातुः सकाशात्पित्रोर्वा लब्धं सौदायिकं स्मृतम् ॥[10]

सौदायिकं धनं प्राप्य स्त्रीणां स्वातन्त्र्यमिष्यते ।

यस्मात्तदानृशंस्यार्थ तैर्दत्तं तत्प्रजीवनम् ॥

---

[7] या.स्मृ. २/१४३ के मिता से उद्दत

[8] या.स्मृ. २/१४३ के मिता से उद्दत

[9] या.स्मृ. २/१४३ के मिता से उद्दत

[10] या.स्मृ. २/१४३ के मिता से उद्दत

सौदायिके सदा स्त्रीणां स्वातन्त्र्यं परिकीर्तितम् ।

विक्रये चैव दाने च यथेष्टं स्थावरेष्वपि ॥[11]

माना जाता है कि सौदायिक धन स्त्रियों को पति या माता-पिता द्वारा कृपा स्नेह प्रदर्शित करने हेतु प्रदान किया जाता है । सौदायिक धन में स्त्रियों को सदैव यह स्वतन्त्रता प्राप्त होती है कि वह इस धन को अपनी इच्छा के अनुसार उपभोग कर सकती हैं ।सौदायिक शब्द 'सुदायः' से बना है जिसका अर्थ है –सम्बन्धियों से प्राप्त धन । परन्तु ऐसा माना जाता है कि पति द्वारा दी गई स्थावर सम्पत्ति को स्त्री को दान करने का अधिकार नहीं है । नारद ने इस सम्बन्ध में कहा है कि पति ने स्नेहवश स्त्री को जो कुछ दिया है, पति के मृत्यु के पश्चात् पत्नी उस स्थावर सम्पत्ति को छोड़कर अपनी इच्छानुसार शेष धन का उपभोग कर सकती है । तात्पर्य यह है कि स्त्री स्थावर सम्पत्ति का विक्रय या दानादि करने में स्वतन्त्र नहीं है -

भर्त्रा प्रीतेन यद्दतं स्त्रियै तस्मिन् मृतेऽपि तत् ।

स यथाकाममश्नीयात् दद्यादवा स्थावरादृते ॥[12]

भर्तृदाय :-

कात्यायन ने कहा है कि पति की मृत्यु के उपरान्त स्त्री पति द्वारा दिये गये धन को अपनी इच्छा के अनुसार व्यय कर सकती है । परन्तु पति के जीवन काल में उस धन की रक्षा करना चाहिये तथा आवश्यकता पड़ने पर कुल के लिये उसका उपयोग करना चाहिये । इस प्रकार का धन भर्तृदाय स्त्रीधन कहा जाता है –

भर्तृदायमृते पत्यौ विन्यसेत् स्त्री यथेष्टतः ।

विद्यमाने तु संरक्षेत् क्षपयेत्तत्कुलेऽन्यथा ॥[13]

तात्पर्य यह है कि पति द्वारा दिये गये धन को पति के मृत्यु प्राप्त हो जाने पर पत्नी अपनी इच्छानुसार उसका उपभोग कर सकती है । और यदि पति जीवित है तो उसकी रक्षा करे ।

---

[11] दाय- ४/१/२१

[12] दाय-४/१/२३

[13] दाय.- ४/१/८

अर्थात् वह उस धन को बिना किसी प्रतिबन्ध को खर्चा करे । उस धन पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है ।

बन्धुदत्त, शुल्क एवं अन्वाधेयक :-

स्त्रीधन के विषय याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है कन्या के मातृबन्धु और पितृबन्धु के द्वारा कन्या को उद्देश्य करके प्रदत्त धन को बन्धुदत्त धन कहते हैं, जो स्त्रीधन ही होता है । इसके अतिरिक्त कन्या के बदले में प्राप्त धन तथा परिणय के पाश्चात प्रदत्त धन भी स्त्रीधन होता है जिसे क्रमश:शुक्ल एवं अन्वाधेयक कहते हैं । कात्यायन ने भी इसे स्वीकार किया है -

बन्धुदत्तं तथा शुल्कमन्वाधेयकमेव च ।

अतीतायामप्रजसि बान्धवास्तदवाप्नुयु:॥[14]

जीमूतवाहन ने कहा है कि बन्धुओं द्वारा दिया गया धन शुल्क एवं अन्वाधेयक धन होता है जो स्त्रीधन के रुप में प्राप्त किया जाता है –

पितृ-मातृ-सुत-भ्रातृदत्तमध्यग्न्युपागतम् ।

आधिवेदनिकं बन्धुदत्तं शुक्लान्वाधेयकम् ॥ इति स्त्रीधनम्॥[15]

वृत्ति, आभूषण, शुल्क, ऋण-ब्याज :-

देवल का स्त्रीधन के विषय में मत है कि वृत्ति, आभूषण, शुल्क, ऋण-ब्याज, ये सभी स्त्रीधन हैं । स्त्री स्वयं इसका उपयोग या उपभोग कर सकती है । आपत्तिकाल के समय में ही पति इस सम्पत्ति का प्रयोग कर सकता है । अर्थात् विपरीत परिस्थितियों में पति को स्त्रीधन का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त था –

वृत्तिराभरणं शुल्कलाभश्च स्त्रीधनं भवेत् ।

भोक्त्री तत्स्वयमेवेदं पतिर्नार्हत्यनापदि ॥[16]

---

[14] या.स्मृ.-२/१४४

[15] दाय.- ४/१/२

[16] दाय-४/१/१५

शुल्कधन के विषय में दायभाग का मत है कि घार के बर्तनों, भारवाही पशुओं, दुधारू पशुओं, आभूषणों एवं दासों के मूल्य के रूप में जो प्राप्त होता है वह शुल्क धन कहलाता है –

गृहोपस्करवाहनानां दोहयाभरणकर्मिणाम् ।

मूल्यं लब्धन्तु यत् किञ्चित् शुल्कं तत् परिकीर्तितम् ॥[17]

जीमूतवाहन का कहना है कि पति आदि को प्रेरित करने के लिये गृहनिर्माताओं तथा सुवर्णकारों द्वारा स्त्री को जो धन दिया जाता था, वह शुल्क धन है- **"गृहादिकर्मिभिः - शिल्पिभिस्तत्कर्मकरणाय भर्त्रादिप्रेणार्थं स्त्रियै यदुत्कोचदानम्, तत् शुल्कं, तदेव मूल्यं, प्रवृत्त्यर्थत्वात् ॥"**[18]

कन्याधन / अविभाज्य धन :-

व्यास स्त्रीधन के विषय में कहते हैं कन्या को विवाह के समय वर को उद्देश्य करके जो कुछ धन कन्या को प्रदान किया जाता था, वह कन्या का ही धन था । और उस धन का विभाजन नहीं होता है अर्थात् वह अविभाज्य धन है -

विवाहकाले यत्किञ्चित् वरायोद्दिश्य दीयते ।

कन्यायास्तद्धनं सर्वमविभाज्यञ्च बन्धुभिः ॥[19]

यौतक धन :-

यौतक का तात्पर्य है विवाह में प्राप्त धन । यह 'युत्' धातु यु के मिश्रन से बना है । जिसका अर्थ है मिश्रित करना । तात्पर्य यह है कि स्त्री और पुरुष विवाह के पश्चात् मिश्रित हो एक शरीर हो जाते हैं । श्रुति में भी कहा गया है- स्त्री के अस्थि के साथ पुरुष की अस्थि का एक होना, माँस के साथ मांस तथा त्वचा के साथ त्वचा । अत: विवाह के समय प्राप्त धन को यौतक धन कहते हैं- **"यौतकम्-परिणयनलब्धम् । यु मिश्रण इति धातोर्युत इतिपदं मिश्रतावचनम्, मिश्रता च स्त्री-**

[17] दाय-४/३/१६

[18] दाय-४/३/२०

[19] दाय- ४/१/१६

पुरुषयोरेकशरीरता । विवाहाच्च तद्भवति, 'अस्थिभिरस्थीनि, मांसैर्मासानि, त्वचा त्वचमिति' श्रुतेः । अतो विवाहकाले लब्धं यौतकम् ।[20]

वृत्ति :-

कौटिल्य ने वृत्ति के विषय में कहा है कि वृत्ति स्त्री का वह धन होता है जो स्त्री के नाम से बैंक आदि में जमा रहता है । इसकी रकम कम से कम दो हजार तक होनी चाहिये –

वृत्तिराबन्ध्यं वा स्त्रीधनम् । परद्विसाहस्त्रा स्थाप्या वृत्तिः ।[21]

आबध्य :-

कौटिल्य ने कहा है कि जो शरीर आदि में बाँधा जा सके वह आबध्य स्त्रीधन है जैसेआभूषण आदि । इसकी कोई सीमा या नियम नहीं है –**" आबन्ध्यानियमः ।"**[22]

उपरोक्त तथ्यों के द्वारा धर्मशास्त्र के समय की सामाजिक व्यवस्था और स्त्रीधन की पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है । स्त्री को पितृकुल तथा पतिकुल से स्नेह द्वारा उपहार के रूप में जो कुछ प्रदान किया जाता था उसे स्त्री की आर्थिक या सामाजिक स्तर सुदृढ़ प्रतीत होती है । नारी को विवाह के पश्चात् आशीर्वाद ग्रहण करते समय आभूषण या नगद के रूप में धन प्राप्त होते थे । यह प्रथा आज भी भारतीय समाज में प्रचलित है । स्पष्टतः धर्मशास्त्रकारों ने स्त्री की वास्तविक सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिये विभिन्न प्रकार के स्त्रीधन का वर्णन किया है ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

कौटिलीय अर्थशास्त्र (श्रीमूलाटीकासहित), कौटिल्य, टी. गणपति शास्त्री,राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दिल्ली, २००६ ।

दायभाग, जीमूतवाहन, (अनु.) नीना डोंगरा, श्री लालबहादुर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दिल्ली, २०१२ ।

[20] दाय-४/२/१३

[21] अर्थ.-३/२/१२

[22] अर्थ.-३/२/१२

धर्मशास्त्र का इतिहास (भाग □-□) , पी.वी.काणे, हिन्दी समिति उतरप्रदेश, लखनऊ, १९७३-८० ।

नारदस्मृति, नारद, ब्रजकिशोर स्वाईं, चौखम्बा संस्कृत संस्थान , वाराणसी, विक्रम सम्वत् २०६५ ।

मनुस्मृति, मनु, उर्मिला रुस्तगी, जे.पी.पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, २००६ ।

मनुस्मृति, मनु, (हि. अनु.) हरिगोविन्द शास्त्री, चौखम्बा संस्कृत सिरीज ऑफिस, वाराणसी, १९७९ ।

याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य, (मिताक्षरा व्याख्या सहित) कमलनयन शर्मा, जगदीश संस्कृत पुस्तकालय, जयपुर, प्रथम संस्करण २००९ ।

याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य, (मिताक्षरा व्याख्या सहित) गंगासागर राय, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, दिल्ली, १९९९ ।